

भुगतान एग्रीगेटर के रूप में PayU को मली मंजूरी

स्रोत: बज़िनस स्टैण्डर्ड


चर्चा में क्यों?

फनिटेक फरम PayU ने हाल ही में घोषणा की है कि उसे भुगतान एवं नपिटान प्रणाली (Payment and Settlement System- PSS) अधनियम, 2007 के तहत [भुगतान एग्रीगेटर \(Payment Aggregator- PA\)](#) के रूप में कार्य करने के लिये [भारतीय रजिस्ट्रेशन बैंक \(RBI\)](#) से संदर्भात्मक मंजूरी मिल गई है।

- RBI से संदर्भात्मक मंजूरी PayU को नए व्यापारियों को शामिल करने की अनुमति देती है, फिर भी अंतमि मंजूरी में आमतौर पर छह माह से एक वर्ष तक का समय लगता है।

भुगतान एग्रीगेटर क्या होता है?

- परिचय:
 - PA व्यवसायों और वित्तीय संस्थानों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, व्यापारियों की ओर से भुगतान की प्रक्रिया को भी संभालता है।
 - एक PA व्यवसायों के लिये इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेवाकार करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है।
 - PA भुगतान सेवाकार करते हैं, जिससे व्यवसायों को वित्तीय संस्थाओं के साथ सीधे संबंध स्थापित करने की जटिलताओं से बचने की अनुमति मिलती है।
 - वे व्यवसायों को एक ही मंच के माध्यम से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई-वॉलेट और बैंक अंतरण सहित विभिन्न भुगतान विधियों को सेवाकार करने में सक्षम बनाते हैं।
 - PA के कुछ उदाहरणों में Google Pay, Amazon Pay, Phone pe और PayPal आदि शामिल हैं।
- पूर्जी आवश्यकताएँ:
 - नए PA के पास आवेदन के समय **न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 15 करोड़ रुपए** होनी चाहिये और प्राधिकरण के बाद तीसरे वित्तीय वर्ष के अंत तक **25 करोड़ रुपए** तक पहुँचनी चाहिये।
- प्राधिकरण प्रक्रिया:
 - जबकि बैंक अपने सामान्य बैंकिंग संबंधों के भाग के रूप में PA सेवाएँ प्रदान करते हैं और उन्हें अलग से प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं होती है, गैर-बैंक PA को भुगतान एवं नपिटान प्रणाली अधनियम, 2007 (PSS) के तहत **RBI** से प्राधिकरण प्राप्त करना होगा।
- नपिटान और नलिंब (escrow) खाता प्रबंधन:
 - गैर-बैंक PA को एक [अनुसृति वाणिज्यिक बैंक](#) के [नलिंब खाते](#) में एकत्रित धन को बनाए रखना अनिवार्य है।
 - PA को लेनदेन के चक्र और सहमत शर्तों के आधार पर व्यापारियों के साथ वित्त के नपिटान के लिये विशिष्ट समयसीमा का पालन करना होगा।



नोटः

- PA के विपरीत, **भुगतान गेटवे (PG)** वित्त को संभाले बना ऑनलाइन भुगतान लेनदेन का आदान-प्रदान करने और प्रक्रया की सुवधा प्रदान करने के लिये प्रौद्योगिकी बुनियादी ढाँचा प्रदान करते हैं।
 - दूसरी ओर, भुगतान एग्रीगेटर व्यापारियों को भुगतान गेटवे की कार्यक्षमता को कवर करते हुए, अपने पोर्टल पर कई भुगतान विकल्प रखने की अनुमति देते हैं।

वित्तिरण का आधार	भुगतान गेटवे	भुगतान एग्रीगेटर
भूमिका	व्यापारी तथा बैंक के मध्य कार्रवाई करने वाला नेटवर्क।	शुरू से अंत तक भुगतान प्रक्रयाओं को सुव्यवस्थित करने का एक समाधान।
भुगतान विकल्प	प्राथमिक रूप से डेबटि/क्रेडिट कार्ड से भुगतान।	कई विकल्प प्रदान करता है: UPI, डेबटि/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकगी आदि।
एकीकरण	व्यापारी प्रत्येक भुगतान पद्धति अथवा बैंक को अलग-अलग एकीकृत करते हैं।	एकीकरण हेतु केवल एक सेवा प्रदाता के साथ साझेदारी की आवश्यकता होती है।
उपलब्ध सेवाएँ	लेन-देन प्रसंस्करण सेवाएँ।	रपीटर, ग्राहक सहायता इत्यादितक पहुँच जैसी अतिरिक्त सेवाओं के साथ-साथ लेन-देन प्रसंस्करण प्रदान करता है।
वित्त प्रबंधन	वित्त का संचय नहीं करता; इनक्रपिटेड भुगतान डेटा सुरक्षित रूप से संचारित करता है।	वित्तीय लेन-देन के लिये व्यापारी पहचान संख्या (MID) का उपयोग करता है। ये ऐसे लेनदेन होते हैं जो एग्रीगेटर की प्रणाली द्वारा नवित्रित किये जाते हैं।
उदाहरण	एकससि बैंक, एचडीएफसी बैंक, MPGS (मास्टरकार्ड भुगतान गेटवे)।	PhonePe PG, स्ट्राइप, कैशफरी।

भुगतान और नपिटान प्रणाली (PSS) अधिनियम, 2007:

- PSS अधनियम, 2007, भारत में भुगतान परणालयों के वनियमन एवं प्रयोक्षण का प्रावधान करता है और साथ ही RBI को सभी संबंधित मामलों के लिये प्राधिकरण के रूप में नामित करता है।
- इस अधनियम के तहत रजिस्टर बैंक को अपने केंद्रीय बोर्ड की एक समतिका गठन करने के लिये अधिकृत कथि गया है, जिसे भुगतान और नपिटान प्रणाली (BPSS) के वनियमन एवं प्रयोक्षण हेतु एक बोर्ड के रूप में जाना जाता है, ताकि वह अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सके तथा इस कानून के तहत अपने कार्यों एवं कर्तव्यों का नियन्त्रण कर सके।
- PSS अधनियम, 2007 की धारा 4 के अनुसार केवल रजिस्टर बैंक ही भुगतान प्रणाली के संचालन को अधिकृत कर सकता है। भुगतान प्रणाली संचालित करने के इच्छुक कसी भी व्यक्तिको PSS अधनियम, 2007 की धारा 5 के तहत प्राधिकरण के लिये आवेदन करना होगा।
- PSS अधनियम 2007 वादिशी संस्थाओं को भारत में भुगतान प्रणाली संचालन को प्रतिविधित नहीं करता है। यह अधनियम वादिशी एवं घरेलू संस्थाओं के बीच भेदभाव नहीं करता है।
- प्राधिकरण के बनी भुगतान प्रणाली का संचालन, रजिस्टर बैंक के नियन्त्रणों का अनुपालन न करना अथवा PSS अधनियम, 2007 के कसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर रजिस्टर बैंक दवारा आपाधिक मुकदमा चलाया जा सकता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न:

प्रश्न. डिजिटल भुगतान के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

1. भीम (BHIM) ऐप उपयोग करने वालों के लिये यह एप U.P.I. सकषम बैंक खाते से कसी को धन अंतरण करना संभव बनाता है।
2. जहाँ एक चपि-पनि डेबटि कार्ड में प्रमाणीकरण के चार घटक होते हैं, BHIM ऐप में प्रमाणीकरण के सरिक दो घटक होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन 'एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI)' को लागू करने का सबसे संभावित प्रणाली है? (2017)

- (a) ऑनलाइन भुगतान के लिये मोबाइल वॉलेट की आवश्यकता नहीं होगी।
- (b) लगभग दो दशकों में पूरी तरह से भौतिक मुद्रा का स्थान डिजिटल मुद्रा ले लेगी।
- (c) FDI के अंतर्वाह में भारी वृद्धि होगी।
- (d) नियन्त्रित व्यक्तियों को उपदानों (सबसड़ीज़) का प्रत्यक्ष अंतरण बहुत प्रभावकारी हो जाएगा।

उत्तर: (a)

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

1. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम (NPCI) देश में वित्तीय समावेशन के संवर्द्धन में सहायता करता है।
2. NPCI ने एक कार्ड भुगतान स्कीम RuPay प्रारंभ की है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/payu-gets-approval-as-payment-aggregator>

